संख्या-149/2020/स-1022/बत्तीस-4-2020-500(16)/2010

प्रेषक,

बीरबल सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य सम्पत्ति निदेशालय,
जवाहर भवन लखनऊ।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक-20मई,2020**

विषय- उ0प्र0नई दिल्ली स्थित अतिथि गृहों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 विद्युत इकाई-3 नोएडा के पत्रांक-153/आर0एन0एन0/इ0एम0यू0/यू0पी0एस0/2020 दिनांक 16-04-2020 एवं पत्रांक-154/आर0एन0एन0/इ0एम0 यू0/यू0पी0एस0/2020 दिनांक 16-04-2020द्वारा की गयी मांग के अनुसार प्रथम चरण में चार माह के लिए उ0प्र0 सदन हेतु रू0-65,65,000/- (रूपये पैंसठ लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि तथा उ0प्र0 भवन हेतु रू0-36,96,600/- (रूपये छत्तीस लाख छियानबे हजार छः सौ मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरणानुरूप लेखा शीर्षक के अनुसार परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 विद्युत इकाई-3 नोएडा, उ0प्र0सदन, चाणक्य पुरी नई दिल्ली को उपलब्ध कराये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	लेखा शीर्षक/ मद नाम	बजटीय प्राविधान	मॉग		वित्तीय वर्ष 2020-21 (04 माह)हेतु स्वीकृत धनराशि	
			उ0प्र0सदन	उ0प्र0 भवन	उ0प्र0सदन	उ0प्र0 भवन
1	2059-60-053-04-0402-29 विद्युत अनुरक्षण	125.00	84.34	64.92	21.33	12.00
2	2059-60-053-04-0403-29 सिविल अनुरक्षण	100.00	44.73	42.59	18.66	9.306
3	2059-60-053-04-0404-29 वातानुकूलन संयंत्रों का रख-रखाव	75.00	44.95	38.99	10.00	10.00
4	2059-60-053-04-0405-29 लिफ्टों का रख-रखाव	75.00	47.83	15.13	13.00	3.66
5	2059-60-053-04-0406-29 अग्निशमन उपकरणों का रख-रखाव	20.00	14.99	15.00	2.66	2.00
6	2059-60-053-04-0402-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00	7.56	3.05	-	-
	कुल योग-	405.00	244.40	179.68	65.65	36.966

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3)- स्वीकृत धनराशि आहरित कर धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(6)- उक्त स्वीकृति इस आशय से की जा रही है कि प्रश्नगत कार्य हेतु सम्बन्धित खण्ड को पूर्व में कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा यह कार्य किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

(7)- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये तथा निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेगें।

(8)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9)- आगणन में जिन विशिष्टियों की मदों का प्राविधान किया गया है, कार्य स्थल पर उसी विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(10)- जिस मद/कार्य के लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11)- प्रायोजना हेतु विस्तृत लागत आगणन गठित हो जाने के बाद ही सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(12)- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मद के कार्यो में किया जायेगा एवं यदि इन कार्यो की विगत तीन वर्षो पूर्व में (सामूहिक आगणन या एकल आगणन) भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तो उतनी धनराशि रक्षित कर शासन को सूचित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ताकि कार्यो की द्विरावृत्ति न हो।

2- यह आदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के सम्बन्धित मद व अतिथि गृह के अनुरक्षण कार्य के रजिस्टर के क्रमांक-1 पर दर्ज कर लिया गया है।

भवदीय,
(बीरबल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-स-1022(1)/ बत्तीस-4-2020-500(16)/2010 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-428/आर0सी0/यू0पी0/2020 दिनांक 04मई2020 के सन्दर्भ में।
3- संयुक्त/सहायक निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सहायक लेखाधिकारी, राज्य सम्पत्ति निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी उ0प्र0सदन/भवन नई दिल्ली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1

8- व्यवस्थाधिकारी, उ0प्र0सदन/उ0प्र0भवन,नई दिल्ली।

9- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0निर्माण निगम लि0 अनुरक्षण इकाई विदुत चाणक्यपुरी नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि राज्य सम्पत्ति अनु0-3 के शासनादेश संख्या-एम-4007/32-3-2017-70/2017 दिनांक 14-8-2017 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान की कार्यवाही स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली की संस्तुति के उपरान्त करना सुनिश्चित करेंगें।

10- गार्डबुक/कम्प्यूटर संख्या-05/2020/02

आज्ञा से,
संजय दुबे
मुख्य व्यवस्थाधिकारी(प्रा0)।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।